न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/175 दर्ज तिथिः–14.02.2024

प्रार्थी		अप्रार्थी
सरकार		केहराराम पुत्र खेताराम वगैरह
जरिये तहसीलदार	बनाम	जरिये अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956
निर्णय तिथिः–26.12.2024

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 91, 77, 85, 97, 78, 72, 92 मौजा नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी के मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तसहीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट पत्रांक/भू0अ0/2024/2320 दिनांक 21.11.2024 द्वारा प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित मार्ग पर कोई कदीमी रास्ता मौके पर चालू नहीं है। इस संबंध में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार केवल बारहमासी मौके पर चालू रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं। हस्तगत प्रकरण में आवेदित रास्ता उक्त परिपत्र के तहत नहीं आता है। अतः

आदेश है कि

वादी का उक्त राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.12.2024 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:50 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी–बाड़मेर